	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/18	वकील पक्षकारान उपस्थित पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट TDR टोंक 16/1/18 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	
16/1/18	अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित है। पत्रावली मय आदेशिका के अनुसार दिनांक 16/3/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	
16/03/18	वकील पक्षकारान उप. पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट TDR टोंक 3/4/18 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	
3/4/18	वकील पक्षकारान उप. पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट TDR टोंक दि 27/4/18 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी टोंक	757 3/4/18
9/06/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपे द्वार–2018 के दौरान ग्राम पंचायत शिविर मे पेश हुई। प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थीगण की भूमि ख.न. 876 ग्राम भरनी पर आने जाने वाले रास्ते को प्रतिपक्षीगण ने बंद कर दिया है जिसे खुलवा कर रास्ता कायम किया जावे तथा प्रतिपक्षीगण को पाबन्द किया जावे। प्रार्थनापत्र के जवाब के अनुसार ख.न. 859/1 गै.मु. रास्ता है जो 860 की सीमा तक जाता है और 860 के समीप ही 876 है अतः नजदीकी ख.न. 860 मे से लिया जाना उचित हैं। प्रकरण के संबंध मे तहसीलदार टोंक से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि ख.न. 876 पर जाने के लिए लगभग 9 फिट रास्ता चालू स्थिति मे है लेकिन प्रार्थी 15 फिट रास्ते की मांग कर रहा है जबकि प्रार्थी की भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग मे नही आ रही हैं अपितु आबादी के प्रयोग मे आ रही हैं। हमने वाद पत्र, जवाब, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया । तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की भूमि मे आने जाने के लिए वर्तमान मे रास्ता चालू स्थिति मे है तथा प्रार्थी ने अपने कृषि भूमि पर मकानात बाडे आदि बना रखे है। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	मदन बाबू रामनाथ बद्रीलाल महेन्द्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

...फलतः तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट के आलोक मे चूंकि प्रा कृषि कार्य हेतु रास्ता नही चाहा है और धारा 251 ए, राजस्थान काश्तक अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कृषि कार्य हेतु सुखाचार के तहत रा दिया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी का न्यायालय मे स्वच्छ हाथो मे आ प्रतीत नही होता है साथ ही वर्तमान मे प्रार्थी के मकानात एवं बाडे आदि जाने के लिए 9 फिट का रास्ता उपलब्ध है। अतः पृथक से कोई रास्ता दि जाना उचित नही है। प्रार्थनापत्र विधि सम्मत नही होने के कारण खारि किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाक दाखिल दफ्तर की जावे।

(पिंकी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, टो
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)